5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

ग्वालियर म0प्र0 निगरानी 1677-PBR-15

प्र. क्र. / निगरानी / / अध्यक्ष / 2015

श्री विवेक श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 24-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती उमा शर्मा पत्नी श्री संतोष शर्मा निवासी दीनदयाल नगर ग्वा0 ...अपीलांट

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार म0प्र0
2 अपर तहसीलदार मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0 .....रेस्पोडेन्टगण

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2/2014–15 अ–16 में पारित आदेश दिनांकी 15.06.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम सैथरी में स्थित सर्वे कमांक 551 रकवा 0.428 हे0 भूमि है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है उक्त भूमि मौके पर काफी समय से पड़त पड़ी हुई है कृषि कार्य के उपयोग मे नही आ रही है इस प्रकार म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 59 के अंतर्गत जो भूमि दो वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो तब ऐसी भूमि डायर्वटेड भूमि मानी जावेगी और उस पर पुनः निर्धारण करने का अधिकार शासन को है पुर्नःनिर्धारण के लिये प्रार्थिनी को दोषी नही माना जा सकता है प्रार्थी ने उक्त भूमि जो कि उबड़ –खाबड़ एवं पड़ती के होने के कारण उक्त भूमि पर वाहन लाने ले जाने में परेशानी होती थी इसलिये मुरम्म डालकर आने जाने का रास्ता बना लिया था प्रार्थिनी ने कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण नही किया और ना ही अवैध कॉलोनी बसाने के उद्धेश्य से कोई कार्यवाही की राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा प्रार्थिनी की मौजदूगी मे मौके की जॉच किये बगैर फर्जी रूप से अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रार्थिर्नी को विधिवत सूचना का निर्वाह किये बगैर तामीली नियमों के विपरीत प्रार्थिनी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये , राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को आधार मानकर अवैध कॉलोनी का दोषी मानते हुये प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्वारा प्रार्थिर्नी के विरूंद्ध म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 172 (5) के अंतर्गत रूपये 10,00,000 का अर्थदण्ड कायम करते हुये आदेश पारित कर दिया उक्त आदेश का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1677–पीबीआर/2015 (उमा शर्मा/शासन)

जिला–ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.03.2016	उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण से संबंधित निगरानी प्रकरण कमांक 2025–पीबीआर/2015 में पारित आदेश के प्रकाश में अपर तहसीलदार, मुरार जिला ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका से की जा रही रुपये 10,00,000/– की वसूली की कार्यवाही तीन माह तक के लिये स्थगित रखें । इसी निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	